



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2010/माघ 28, 1931

No. 328]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2010/MAGHA 28, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2010

का.आ. 389(अ).—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (1) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अक्टूबर, 2003 के प्रथम दिवस को तथा उससे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नामक एक निकाय स्थापित किया है। 21 फरवरी, 2010 को गैर-सरकारी सदस्यों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करती है और उन प्रयोजनों के लिए 22 फरवरी, 2007 की अधिसूचना का.आ. 262(अ) में 22 फरवरी, 2010 तथा उसमें संशोधन करती है, अर्थात् :—

इस अधिसूचना में क्रमांक 12 से 16 तक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- (12) डॉ. एस सुब्रह्मणियन, (21-2-2013 तक नियुक्त)
सं. 54, वीजीपी, गोल्डन
सी व्यू, पार्ट-2,
द्वितीय मेन रोड,
5वां क्रॉस स्ट्रीट,
पालावक्कम, चैन्नई-600041
- (13) डॉ. आर. एस. राणा, (21-2-2013 तक नियुक्त)
चैयरमेन, बायो-लिक
डी-43, इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेंट,

सेक्टर 14, रोहिणी

नई दिल्ली-110025

- (14) डॉ. उपेन्द्र धर, (21-2-2013 तक नियुक्त)
11, एसबीआई अपार्टमेंट
नियर आएशर स्कूल,
सेक्टर 46,
फरीदाबाद-121002
हरियाणा
- (15) डॉ. के. एम. बुजरबुआ, (21-2-2013 तक नियुक्त)
वाइस-चौंसलर,
असम एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी,
जोरहाट-785013
- (16) डॉ. दर्शन शंकर, (21-2-2013 तक नियुक्त)
सलाहकार, एफआरएलएचटी
अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ
आयुर्वेद एण्ड इंटिग्रेटिव मेडिसिन
(आईएआईएम), 74/2,
जारकावन्दे कवल, पोस्ट अचूर,
वाया येलाहान्का, बंगलूरु-560064

[फा. सं. जे. 22108/46/2003-सीएस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण,
भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख
22 फरवरी, 2007 के तहत का.आ. 262(अ) के
तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2010

S.O. 389(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of Section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government has established a body called the National Biodiversity Authority, on and from the 1st day of October, 2003 for the purposes of the said Act. After expiry of the term of the non-official members on 21st February, 2010, the Central Government hereby appoints the following non-official members to the National Biodiversity Authority and for that purpose amends the notification number S.O. 262(E) dated 22nd February, 2007, on and from 22nd February 2010, namely :—

In the said notification, for serial numbers 12 to 16 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

- (12) Dr. S. Subramanian, (Appointed up to 21-2-2013)
No.54, VGP,
Golden Sea View, Part-II,
2nd Main Road,
5th Cross Street,
Palavakkam,
Chennai-600 041
- (13) Dr. R.S. Rana, (Appointed up to 21-2-2013)
Chairman, Bio-Link
D-43, Indraprastha Apartments
Sector 14, Rohini,
New Delhi-110 025

- (14) Dr. Uppeandra Dhar, (Appointed up to 21-2-2013)
11, SBI Apartments,
Near Eicher School,
Sector 46,
Faridabad -121002
Haryana
- (15) Dr. K. M. Bujarbaruah, (Appointed up to 21-2-2013)
Vice-Chancellor,
Assam Agricultural University,
Jorhat-785013
- (16) Dr. Darshan Shankar (Appointed up to 21-2-2013)
Advisor, FRIJIT
Chairman Institute
of Ayurveda and
Integrative Medicine
(IAIM), 74/2,
Jarakabande Kaval,
Post Attur, Via Yelahanka,
Bangaluru - 560 064.

[F. No. J-22018/46/2003-CS-III]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O 262(E) dated the 22nd February, 2007.